

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

शिवदयाल सिंह बनाम श्रवण सिंह वगै०

किरम मुकदमा- इजराय

मुकदमा नम्बर- 41/2022

2769
18/11/22

तारीख हुजूम	हुजूम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नाम्बर व तारीख अहकाम जो हुजूम की तारीख में जारी हुवे
17.10.2022	<p>वकील डिकीदार श्री शंकर लाल सैनी एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 16.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>	<p style="text-align: right;">2348/2022 17-10-22</p>
02.09.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री सौवरमल यादव भू अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 2769 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	<p>ऑन लाइन मिलान क्रिया शमा। ए.सं. 2769 18. 18.11.22 अमल आदेश की पालना की गयी।  9/12</p> 